XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

27.12.2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–74 / 2011

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

शंकर भगवान सोरेन, पिता–अर्जुन सोरेन, साकिन–बसगढ़ा कदम टोला, थाना–रूपौली, जिला– पूर्णियाँ............

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार..................

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी पुत्री संजी कुमारी के शादी करने हेतु मो0 इद्रीश, पिता–स्व0 मो0 गफ़फार, साकिन–छोटी भंडसार, थाना–भवानीपुर के साथ मौजा–बसगढ़ा, थाना नं0–247/2, तौजी नं0–1/1307, खाता नं0–88, खेसरा नं0–24, रकवा–0.26 डिसमिल जमीन बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (G) अन्तर्गत बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन अपनी पुत्री के शादी में होनेवाली खर्च के लिये बिक्री करना चाहता हूँ। उक्त भूमि आवेदक के दखल–कब्जा में है तथा बिहार सरकार को लगान भुगतान करता आ रहा है। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जमीन बच जाता है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, रूपौली से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयीं। अंचलाधिकारी, रूपौली ने अपने पत्रांक 575, दिनांक 10.09.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि आवेदक के घर के लड़की की शादी है, जिसके कारण वह जमीन बिक्री करना चाहता है। जमाबन्दी के अनुसार 0.26 डिसमिल , जिसका खाता नं0–88, खेसरा नं0–24, मौजा–बसगढ़ा वाली जमीन बेचने के बाद भी आवेदक के पास 1.61 एकड़ जमीन बचती है। आवेदक के आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा अंचलाधिकारी द्वारा की गयी है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(signature) 27/12
समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

(signature)
समाहर्त्ता, पूर्णियाँ